राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 4154/2018

प्रेम लाल बाहेती **–अपीलार्थी**

बनाम

1. श्रम और रोजगार मंत्रालय राजस्थान सरकार जरिये प्रमुख शासन सचिव, शासन सचिवालय, जयपुर (राज.)।
2. शासन सचिव, कार्मिक विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर (राज.)।
3. श्रम आयुक्त श्री राम भवन शांति नगर, खातीपुरा रोड़, हसनपुरा, जयपुर (राज.)।
4. उप श्रम आयुक्त, शास्त्री नगर, चित्तौडगढ़ (राज.)।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 09.10.2018
आदेश की दिनांक : 09.05.2023

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री ब्रज शर्मा, अभिभाषक
प्रत्यर्थीगण की ओर से : श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी ने यह चाहा है कि आलोच्य आदेश दिनांक 12.04.2018 को अपास्त फरमाया जावे तथा प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिए जावें कि वार्षिक वेतन वृद्धि वर्ष 2010 से 2016 तक एवं अवकाश का लाभ प्रदान किए जावें तथा ग्रेच्युटी राशि छठें एवं सातवें वेतन आयोग के आधार पर प्रदान करते हुए एरियर मय ब्याज सहित तथा वार्षिक दिवाली बोनस भी दिए जाने के आदेश दिए जावें।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :–

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का यह कथन है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति ग्रामीण श्रम निरीक्षक के पद पर हुई थी और उसे श्रम निरीक्षक के पद पर पदोन्नत किया गया। अपीलार्थी ने अपनी संतोषजनक सेवाएं दी। उसके प्रति कभी कोई शिकायत नहीं रही। अपीलार्थी को दुर्भावनापूर्ण तरीके से भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम, 1988 की धारा 7 एवं 13 (1) (डी) एवं धारा 13(2) के तहत 201, 120 बी भारतीय दण्ड संहिता के तहत दिनांक 07.06.2010 को मामला दर्ज किया गया तथा चार्जशीट अपीलार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत की गई। अपीलार्थी को आदेश दिनांक

04.06.2010 के द्वारा प्रत्यर्थी विभाग द्वारा निलंबित कर दिया गया। तत्पश्चात् अपीलार्थी को निलंबन अवधि के दौरान कोई वेतन वृद्धि नहीं दी गई। अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी विभाग को अभ्यावेदन प्रस्तुत करते हुए वार्षिक वेतन वृद्धि प्रदान किए जाने का अनुरोध किया। परंतु प्रत्यर्थी विभाग द्वारा कोई निराकरण नहीं किया गया। उक्त मामला जो अपीलार्थी के विरूद्ध दर्ज किया गया। उसमें अपीलार्थी को निर्दोष माना गया। राजस्थान सेवा नियमों के अनुसार निलंबन अवधि 5 वर्ष से अधिक नहीं की जा सकती। इसके बावजूद अपीलार्थी निलंबन काल के दौरान सेवानिवृत्त हो गया। उसे छठे एवं सातवें वेतन आयोग का लाभ भी नहीं दिया गया, जिसके क्रम में अपीलार्थी ने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 17504/2017 प्रस्तुत की और माननीय न्यायालय ने आदेश दिनांक 09.10.2017 पारित करते हुए अपीलार्थी के अभ्यावेदन का निस्तारण करने का निर्देश दिया। अपीलार्थी ने अभ्यावेदन प्रस्तुत किया। परंतु प्रत्यर्थी विभाग ने उसके अभ्यावेदन का कोई निस्तारण नहीं किया और दिनांक 12.04.2018 के द्वारा अपीलार्थी को उसके अभ्यावेदन को खारिज करने की सूचना दे दी गई। अपीलार्थी द्वारा उसके अभ्यावेदन को खारिज किए गए आदेश को पुनः माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 15462/2018 प्रस्तुत की गई, जिसके क्रम में माननीय उच्च न्यायालय ने पारित आदेश दिनांक 25.07.2018 के द्वारा अपीलार्थी को अधिकरण के समक्ष अपील प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई। उनका कथन है कि अपीलार्थी को माननीय न्यायालय विशिष्ट न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम भीलवाडा के आदेश दिनांक 16.07.2022 के द्वारा अपीलार्थी को दोषमुक्त घोषित किया गया है। अपीलार्थी के ऊपर अब कोई मामला उक्त न्यायालय में विचाराधीन/लंबित नहीं है। फिर भी प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी को न तो अवकाशों का लाभ दिया गया और ना ही वार्षिक वेतन वृद्धियों का लाभ दिया गया है, जो विधि के विरूद्ध है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर आलोच्य आदेश दिनांक 12.04.2018 को अपास्त फरमाया जावे तथा प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिए जावें कि वार्षिक वेतन वृद्धि वर्ष 2010 से 2016 तक दी जावे एवं अवकाश का लाभ प्रदान किए जावें तथा ग्रेच्युटी राशि छठें एवं सातवें वेतन आयोग के आधार पर प्रदान करते हुए एरियर मय ब्याज सहित तथा वार्षिक दिवाली बोनस भी दिए जाने के आदेश दिए जावें।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुए यह अभिकथन किया है कि अपीलार्थी भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा दिनांक 03.06.2010 को कार्यालय उप श्रम आयुक्त, भीलवाडा में की गई कार्यवाही

में रिश्वत लेते हुए पकड़े जाने पर कार्यालय आदेश दिनांक 04.06.2010 द्वारा निलंबित किए गए एवं अभियोजन स्वीकृति दिनांक 12.07.2011 के द्वारा दी गई। राजस्थान सेवा नियम के नियम 29 के अनुसार सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के नियम 155 के अनुसार तथा राजस्थान सेवा नियम के नियम 54 के प्रावधान अनुसार निलंबन काल में सामान्यतः वेतन वृद्धि स्वीकृत नहीं की जा सकती, केवल इस अवधि में जीवन निर्वाह भत्ता ही देय है। अपीलार्थी द्वारा प्रेषित 80 सी.पी.सी. का नोटिस दिनांक 22.12.2011 एवं पत्र दिनांक 20.01.2012 द्वारा यह स्पष्ट कर दिया गया था कि निलंबन अवधि में वेतन वृद्धि देय नहीं है। अपीलार्थी को रिश्वत लेते हुए पकड़े जाने पर उसका प्रकरण विचाराधीन रहने के कारण सेवानिवृत्ति तक निलंबित रखा गया एवं निलम्बन सहित ही सेवानिवृत्त किया गया। इसलिए अपीलार्थी नियमानुसार किसी प्रकार का कोई भुगतान पाने का अधिकारी नहीं है। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज फरमाई जावे।

हमनें उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली में उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी श्रम निरीक्षक के पद पर कार्यरत था। अपीलार्थी को भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम, 1988 की धारा 7 एवं 13 (1) (डी) एवं धारा 13(2) के तहत 201, 120 बी भारतीय दण्ड संहिता के तहत दिनांक 07.06.2010 को मामला दर्ज किया गया। अपीलार्थी को आदेश दिनांक 04.06.2010 के द्वारा प्रत्यर्थी विभाग द्वारा निलंबित कर दिया गया। निलंबन अवधि के दौरान अपीलार्थी को कोई वेतन वृद्धि नहीं दी गई। अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग को अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर उसके अभ्यावेदन को आलोच्य आदेश दिनांक 12.04.2018 के द्वारा खारिज कर दिया गया। जहां तक अपीलार्थी भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की कार्यवाही में रिश्वत लेते हुए ट्रेप होने पर निलंबित किया गया था, संबंधित के विरूद्ध अभियोजन स्वीकृति जारी होने के उपरांत दण्डित प्रकरण विचाराधीन होने से अपीलार्थी को वार्षिक वेतन वृद्धियां एवं अवकाश आदि का लाभ प्रदान नहीं किए जाने का प्रश्न है, हमारे विनम्र मत में न्यायालय : विशिष्ट न्यायाधीश, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, भीलवाडा के आदेश दिनांक 16.07.2022 के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी को धारा 7, 13 (1)(डी) सपठित धारा 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 एंव धारा 120 बी भारतीय दण्ड संहिता से दोषमुक्त घोषित किया गया है। इस प्रकार अपीलार्थी के विरूद्ध कोई वाद न्यायालय में उक्त मामले से संबंधित लंबित/विचाराधीन नहीं है।

अपीलार्थी उक्त न्यायालय द्वारा पूर्ण रूप से दोषमुक्त घोषित किया गया है। इस प्रकार अपीलार्थी वार्षिक वेतन वृद्धि एवं अवकाश का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी है। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार किए जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर आलोच्य आदेश दिनांक 12.04.2018 को अपास्त फरमाया जाता है तथा प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जाते हैं कि अपीलार्थी को वर्ष 2010 से 2016 तक की वार्षिक वेतन वृद्धियों का लाभ एवं उपार्जित अवकाश (Privilege Leave) का लाभ नियमानुसार प्रदान करें एवं छठें तथा सातवें वेतन आयोग के आधार पर ग्रेच्युटी राशि तथा एरियर मय ब्याज सहित और वार्षिक दिवाली बोनस नियमानुसार प्रदान किए जावें। उक्त आदेश की पालना इस आदेश के जारी होने की दिनांक से तीन माह में सुनिश्चित की जावे।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य